469
22/2/21

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः– **राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण–सह–अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागान्तर्गत संचालित झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना मद अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण में 40% अनुदान या अधिकतम 5.00 लाख (पांच लाख रूपये) का अनुदान के प्रावधान एवं ऋण–सह–अनुदान योजना का नाम "मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना" परिवर्तित करने की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागान्तर्गत संचालित निगमों द्वारा सुगम एवं सस्ते दर पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास की ओर ज्यादा बल देने हेतु व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि स्वरोजगार हेतु युवाओं को बैंक से ऋण लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा संचालित निगमों को स्वरोजगार हेतु ऋण–सह–अनुदान का लाभ देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आरम्भ करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को ऋण–सह–अनुदान की सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागान्तर्गत संचालित निगमों द्वारा सुगम एवं सस्ते दर पर अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण–सह–अनुदान की योजना अब **"मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना"** के नाम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ दिया जाना है। प्रस्तावित ऋण की योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों (Income Generation) को बल देने हेतु स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए ही ऋण देय होगा। किसी भी परिस्थिति में इस योजना अंतर्गत Consumption Loan देय नहीं होगा।

19/02/2021

3. <u>नोडल एजेन्सीः–</u> मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत ऋण के साथ–साथ ऋण में अनुदान (ऋण–सह–अनुदान) योजना का क्रियान्वयन विभाग अन्तर्गत संचालित निम्नलिखित निगमों द्वारा किया जाएगा :–

I. झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम

II. झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम

III. झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

IV. झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

4. उपरोक्त निगमों द्वारा वर्तमान में केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थान यथा National Scheduled Tribes Finance Development Corporation (NSTFDC), National Scheduled Cast Finance Development Corporation (NSFDC), National Backward Class Finance Development Corporation (NBCFDC), National Safai Karamchari Finance Development Corporation (NSKFDC), National Handicapped Finance Development Corporation (NHFDC) तथा National Minority Finance Development Corporation (NMFDC) द्वारा प्राप्त ऋण की राशि से लाभुकों को आच्छादित किया जाता रहा है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 तक ऋण की राशि में अधिकतम 10000/– रू० का अनुदान का वहन राज्य मद से प्राप्त राशि से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में मंत्रिपरिषद के स्वीकृति के उपरांत संकल्प संख्या 3601 दिनांक 30/10/2019 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पंसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा दिव्यांगजन को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य योजना मद अन्तर्गत ऋण की राशि के साथ–साथ ऋण में अनुदान 25% की दर से या अधिकतम रु० 2.50 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को देने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ–साथ केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थान यथा NSTFDC, NSCFDC, NBCFDC, NSKFDC, NHFDC तथा NMFDC द्वारा प्राप्त ऋण की राशि में भी 25% की दर से अनुदान या अधिकतम रु० 2.50 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, राज्य योजना मद अन्तर्गत प्रावधानित बजटीय उपबंध से देने का प्रावधान किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा दिव्यांग जन को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। उक्त संकल्प में वर्णित ऋण के साथ–साथ ऋण में अनुदान के प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागान्तर्गत कार्यरत निगमों द्वारा कुल 1349 लाभुकों को आच्छादित करते हुए कुल 6.78 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया।

19/02/2021

5. वर्तमान में विभाग अन्तर्गत संचालित निगमों द्वारा निम्न रूपेण ऋण–सह–अनुदान की राशि मुहैया करायी जाती है :–

क्रं० सं०	ऋण की सीमा	प्रस्तावित ऋण अनुदान (%में)	प्रस्तावित ऋण अनुदान की राशि (रूपये में)	ऋण प्राप्त करने हेतु गारन्टर का प्रावधान
1	रु० 50,000/– तक	25%	12,500/–	आवश्यकता नहीं है।
2	रु० 50,001/– से 2,50,000/– तक	25%	12,500/– से 62,500/–	एक गारन्टर जो सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/ सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष बची हुई हो तथा ऐसा कोई भी सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आयकर दाता हो गारन्टर हो सकते हैं।
3	रु० 2,50,001/– से 5,00,000/– तक	25%	62,500/– से 1,25,000/–	दो गारन्टर जो सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष बची हुई तथा ऐसा कोई भी सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आयकरदाता हो, गारन्टर हो सकते हैं।
4	रु० 5,00,001 लाख से 10,00,000/– तक	25%	रू० 1,25,000/– से 2,50,000 तक	
5	रु० 10,00,001/– से 25,00,000/– तक	25%	अधिकतम रू० 2,50,000/–	
नोट – झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण राशि के समतुल्य विक्रयशील चल/अचल सम्पति भी गारन्टी के रूप में लाभुकों से प्राप्त किया जा सकता है।				

Covid-19 महामारी की वजह से राज्य के बाहर कार्य करने वाले बहुत संख्या में श्रमिक वापस राज्य में आये है जिन्हें रोजगार से जोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। राज्य में वापस आये कुशल/अर्ध–कुशल युवा वर्ग के श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु विभागान्तर्गत निगमों द्वारा संचालित ऋण–सह–अनुदान की योजना में प्रावधानित अनुदान की राशि में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

6. राज्य योजना मद अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से विभाग अन्तर्गत कार्यरत निगमों द्वारा संचालित किये जा रहे ऋण योजना एवं ऋण में अनुदान, ऋण सीमा एवं गारन्टर का संशोधन निम्नवत किया जाता है :–

19/02/2021

क्रं० सं०	ऋण की सीमा	प्रस्तावित ऋण अनुदान (%में)	प्रस्तावित ऋण अनुदान की राशि (रूपये में)	ऋण प्राप्त करने हेतु गारन्टर का प्रावधान
1	रु० 50,000/– तक	40%	20,000/–	आवश्यकता नहीं है।
2	रु० 50,001/– से 2,50,000/– तक	40%	20,000/– से 1,00,000/–	एक गारन्टर जो सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष बची हुई गारन्टर हो सकते हैं **अथवा** एक गारन्टर, जो सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो आयकर दाता हो एवं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो, गारन्टर हो सकता हैं।
3	रु० 2,50,001/– से 5,00,000/– तक	40%	1,00,000/– से 2,00,000/– तक	
4	रु० 5,00,001 लाख से 10,00,000/– तक	40%	2,00,000/– से 4,00,000/– तक	
5	रु० 10,00,001/– से 25,00,000/– तक	40%	4,00,000/– से अधिकतम 5,00,000/– तक	

i. **गारन्टी के रूप में विक्रयशील चल/अचल सम्पति का प्रावधान:-** झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण राशि के समतुल्य विक्रयशील चल/अचल सम्पति भी गारन्टी के रूप में लाभुकों से प्राप्त किया जा सकता है।

ii. **दृष्टिबंधक (Hypothecation):-** मैन्युफैक्चरिंग सम्बंधित ऋण प्रस्ताव में प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन से सम्बंधित ऋण के लिए आवेदक द्वारा ऋण में लिए गए वाहन को सम्बंधित निगम के नाम में विहित प्रपत्र में दृष्टिबंधक (Hypothecation) करना अनिवार्य होगा। दृष्टिबंधक (Hypothecation) ही ऋण की गारंटी के रूप में मान्य होगा। इस सम्बन्ध में प्रपत्र निगम द्वारा तैयार किये जायेंगे।

iii. **ऋण अनुदान की राशि की भुगतान की प्रक्रिया:-** ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम रु० 5.00 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को भुगतेय होगा। ऋण अनुदान उस वक्त लाभुकों को देय होगी जब उनके द्वारा लिए गए ऋण का मूलधन तथा ब्याज की राशि ऋण अनुदान की राशि के समतुल्य शेष हो। ऋण अनुदान की राशि प्रत्यक्ष रूप से लाभुक को भुगतेय नहीं होगी, परन्तु इसका लाभ लाभुक द्वारा लिए गये ऋण एवं ऋण वापसी की प्रक्रिया में जब ऋण का मूलधन तथा ब्याज की राशि (Equated monthly Installment) ऋण अनुदान की राशि के समतुल्य शेष होगी, उस स्थिति में बचे हुए शेष ऋण का समायोजन ऋण अनुदान की राशि से किया जाएगा। ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम 5,00,000/– रू० दोनों में से जो कम हो, का लाभ लाभुकों को तभी देय होगा जब लाभुकों द्वारा नियमित रूप से EMI का भुगतान संबंधित निगमों को किया जाएगा। तीन

19/02/2021

लगातार माह का EMI लाभुक द्वारा भुगतान नहीं करने की स्थिति में उक्त लाभुक को Default List में रखते हुए ऋण अनुदान की राशि के लाभ से वंचित रखा जाएगा।

केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थान यथा National Scheduled Tribes Finance Development Corporation (NSTFDC), National Scheduled Cast Finance Development Corporation (NSFDC), National Backward Class Finance Development Corporation (NBCFDC), National Safai Karamchari Finance Development Corporation (NSKFDC), National Handicapped Finance Development Corporation (NHFDC) तथा National Minority Finance Development Corporation (NMFDC) द्वारा प्राप्त ऋण की राशि से लाभुकों को आच्छादित किये जाने पर भी प्रस्तावित ऋण अनुदान का लाभ राज्य योजना मद से, ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम रु० 5.00 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को भुगतेय होगा।

iv. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग गारंटी, दृष्टिबंधक (Hypothecation) तथा ऋण सम्बन्धी प्रपत्रों हेतु अलग से मार्गनिर्देश जारी कर सकेगा।

7. **<u>वाहन ऋण:-</u>** वाहन ऋण के आवेदकों के लिए आवेदक का पूर्व का बना हुआ व्यवसायिक ड्राईविंग लाइसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। वाहन से सम्बंधित ऋण के लिए आवेदक को सम्बंधित निगम के नाम में विहित प्रपत्र में दृष्टिबंधक (Hypothecation) करना अनिवार्य होगा। ऋण हेतु दृष्टिबंधक (Hypothecation) ही ऋण की गारंटी के रूप में मान्य होगा। आवेदक द्वारा ऋण में लिए गए वाहन का व्यवसायिक निबंधन (Commercial Registration) करवाना अनिवार्य होगा।

8. विभाग अन्तर्गत संचालित निगमों द्वारा ऋण की योजना में ली जा रही सूद का दर पूर्ववत् रहेगा। सूद की गणना सम्पूर्ण राशि पर की जाएगी।

9. योजना अंतर्गत योग्य लाभुक के चयन हेतु प्रस्तावित जिला स्तरीय समिति निम्न रुप से गठित किया जाएगा :-

i.	अध्यक्ष	:	उपायुक्त
ii.	उपाध्यक्ष	:	उप विकास आयुक्त
iii.	सदस्य सचिव	:	निगम के जिला कार्यपालक पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी
iv.	सदस्य	:	परियोजना निदेशक, ITDA
v.	सदस्य	:	लीड बैंक मैनेजर
vi.	सदस्य	:	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र
vii.	सदस्य	:	जिला परिवहन पदाधिकारी

19/02/2024

आवेदक द्वारा ऋण का आवेदन झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के शाखा कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। संबंधित जिला कार्यपालक पदाधिकारी (झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को छोड़कर) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की जाँच पूरी कर योग्य एवं पात्र लाभुकों का आवेदन जिला स्तरीय समिति से अनुसंशित कराकर जाँच के चेकलिस्ट सहित निगम मुख्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। तद्नुसार निगम मुख्यालय स्तर पर आवेदनों की स्वीकृति देते हुए ऋण की राशि लाभुकों को भुगतान की जाएगी।

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा ऋण हेतु आवेदन झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय के साथ साथ जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे एवं तद्नुपरान्त सम्बंधित जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की जाँच पूरी कर योग्य एवं पात्र लाभुकों का आवेदन जिला स्तरीय समिति से अनुसंशित कराकर जाँच के चेकलिस्ट सहित झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। आवेदनों की जाँच करते हुए योग्य एवं पात्र लाभुकों को ऋण की राशि झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

10. विभाग अन्तर्गत कार्यरत निगमों द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु लाभुकों को निम्नलिखित अहर्त्ता पूर्ण करनी होगीः–

I. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष की हो।

II. आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे संबंधित Online निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

III. झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (Online निर्गत)।

IV. झारखण्ड राज्य से निर्गत आय प्रमाण पत्र (Online निर्गत)– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000/– से अधिक न हो।

V. आवेदक सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

VI. आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

VII. आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति/आयु संबंधी प्रमाण–पत्र/ बैंक खाता नम्बर (पासबुक के प्रथम पृष्ट की छायाप्रति) उपलब्ध कराना होगा।

VIII. रू० 50,001/–से अधिक के ऋण हेतु योजना प्रस्ताव देना होगा। योजना प्रस्ताव में आवेदक को यह जानकारी भी साझा करना अनिवार्य होगा कि उनके व्यवसाय (वाहन ऋण छोड़ कर) में प्रति 1.50 लाख रूपये के निवेश में कितना रोजगार सृजित हो रहा है। किसी भी प्रकार के नशा यथा शराब, हड़िया, ताड़ी आदि, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसाय यथा 20

19/02/2024

माइक्रोन से कम पोलिथीन बैग/कैरी बैग/पैकेजिंग मटेरियल आदि से सम्बंधित व्यवसाय के प्रस्ताव इस योजना अंतर्गत आच्छादित नहीं किये जायेंगे।

IX. 50,001/– रू० से अधिक की परियोजना इकाई के कुल लागत का 10% राशि आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा।

X. योजना प्रस्ताव से संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो, तो उसका प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

XI. वाहन ऋण के आवेदकों के लिए आवेदक का पूर्व का बना हुआ व्यवसायिक ड्राईविंग लाइसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा ऋण में लिए गए वाहन का व्यवसायिक निबंधन (Commercial Registration) करवाना अनिवार्य होगा।

XII. आवेदक को ऋण के विरूद्ध दी जानेवाली गारन्टी कण्डिका 6 की तालिका के अनुरूप देना होगा।

XIII. स्वयं सहायता समुहों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित National Rural Livelihood Mission (NRLM) अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों एवं RBI द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्वयं सहायता समूहों को आय सम्वर्धन हेतु ऋण की राशि मुहैया करायी जाएगी।

XIV. यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता (कम से कम 40%) संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. <u>योजना हेतु वित्तीय प्रावधान एवं राशि का हस्तांतरण –</u> वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पंसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा दिव्यांगजन को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य योजना मद अन्तर्गत झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु 1170.00 लाख रू० प्रावधानित है। बजटीय उपबंध की राशि की निकासी आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड द्वारा करते हुए प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराई जायगी। बजटीय उपबंध की राशि से प्रस्तावित योजना अंतर्गत निर्धारित शर्तों के आलोक में ऋण के साथ–साथ ऋण अनुदान की राशि भी भुगतेय होगी। इसके साथ–साथ केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थान यथा NSTFDC, NSCFDC, NBCFDC, NSKFDC, NHFDC तथा NMFDC द्वारा प्राप्त ऋण की राशि में भी राज्य मद के बजटीय उपबंध की राशि से निर्धारित शर्तों के आलोक में ऋण अनुदान की राशि भी भुगतेय होगी।

12. राशि का विकलन मांग संख्या 51–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग, मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों का

19/02/2021

कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–20–शिक्षा–अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को स्थापना अनुदान एवं सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अंशदान, इकाई–79–सहायता अनुदान सामान्य विपत्र कोड–51S222501789200679 एवं

उपमुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष–50–शिक्षा– टी०सी०डी०सी० को सहायक अनुदान, विस्तृत शीष–06–अंशदान, इकाई–79–सहायता अनुदान सामान्य विपत्र कोड–51S222502796500679 एवं

उपमुख्यशीर्ष–03–पिछड़ी वर्गों का कल्याण लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष–85–पिछड़ा वर्ग विकास निगम सहायक अनुदान, विस्तृत शीष–06–अंशदान, इकाई–79–सहायता अनुदान सामान्य विपत्र कोड–51S222503796850679 तथा

मांग संख्या 30–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग), मुख्य शीर्ष–4225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष–07–अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा योजनाओं के कार्यान्वय हेतु सहायक अनुदान विस्तृत शीष–07–अन्य व्यय, इकाई–59–अन्य व्यय विपत्र कोड–30S422580796070759 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

13. योजना पर दिनांक 03.02.2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

14. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प सं०–3601, दिनांक–30.10.2019 तथा संकल्प सं०–2737, दिनांक–29.12.2020 को विलोपित किया जाता है।

19/02/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/SCDC-08/2019 469 राँची, दिनांकः–22/2/21

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित कि झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। साथ ही 300 अतिरिक्त प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाए।

19/02/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/SCDC-08/2019 469 राँची, दिनांकः– 22/2/21

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/02/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/SCDC-08/2019 469 राँची, दिनांक 22/2/21

प्रतिलिपि– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी सचिव, झारखण्ड/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/सभी परियोजना निदेशक, ITDA/सभी उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, साहेबगंज/दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/02/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/SCDC-08/2019 469 राँची, दिनांकः– 22/2/21

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/02/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/SCDC-08/2019 469 राँची, दिनांकः– 22/2/21

प्रतिलिपि– योजना–सह–वित्त विभाग (योजना एवं वित्त प्रभाग)/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/02/2021

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।